

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा सडक पुलिया/2018-19/

12436-43

दिनांक 22⁶/₂₀₂₀

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।


विषय- सोम से सरवण डामरीकरण सडक निर्माण लम्बाई 2.75 कि.मी. पं.स.
फलासिया की राशि हस्तान्तरण के क्रम में।

प्रसंग- आपका पत्रांक 7532-33 दिनांक 19.03.2020।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विभागीय पत्रांक 11482-92 दिनांक 06.03.2019 राशि रु. 134.09 लाख की सोम से सरवण डामरीकरण सडक निर्माण लम्बाई 2.75 कि.मी. पं.स. फलासिया की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर प्रथम किश्त राशि 67.05 लाख की हस्तान्तरण की गई थी।

प्रासंगिक पत्र के क्रम में कार्यादेश अनुसार उक्त कार्य पर 90.45 लाख रु. व्यय होकर कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष (90.45-67.05) राशि 23.40 लाख रु की शासन की स्वीकृति संख्या 42/2019-20 दिनांक 08.11.2019 राशि रु. 525.00 लाख में से हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(शिवांगी स्वर्णकार)IAS
आयुक्त


क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित सडक-पुलिया/2018-19/

12436-43

दि. 22⁶/₂₀₂₀

प्रतिलिपि -

1. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
2. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त उदयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कोटडा जिला उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 42/2019-20 दिनांक 08.11.2019 राशि रु. 525.00 लाख में से शेष उपलब्ध राशि में से राशि रु. 23.40 लाख रु. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को हस्तांतरित करावें।
5. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
7. गार्ड फाईल।


अतिरिक्त आयुक्त